[The Vice-Chairman]

the Comptroller and Auditor-General of India and to prescribe his duties and powers and for matters connected therewith or incidental thereto and resolves that the following Members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said Joint Committee, namely—

i. Shri M, Anandam
2. Shri Anant Prasad Sharma
3. Shri Gurumukh Singh Musafir
4. Pt, Bhawaniprasad Tiwary
5. Shri C. D. Pande
6. Shri T. Chengalvaroyan
7. Shri Sundar Mani Patel
8. Shrimati Sarla Bhadauria
9. Shri Kalyan Roy
io. Shri Thillai Vitlalan." *The motion was adopted.*

THE INDIAN SOLDIERS (LITIGATION) AMENDMENT BILL, 1968

THE MINISTER OF DEFENCE STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SARDAR SW ARAN SINGH) : Mr. Vice-Chairman, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925, be taken into consideration."

Mr. Vice-Chairman, this is, I hope, a non-controversial piece of legislation and by this amendment certain types of proceedings are intended to be brought within the purview of the facilities that are afforded to the Defence personnel in matters of litigation. The oniy concession that is granted under the scheme of the parent Act is that if a soldier or a sailor or an airman is unable to attend ^o a piece of litigation in which he may be a party, then on his Commanding Officer certifying that the defence personnel concerned is so employed the proceedings are postponed so that no *x-parte* procedings are taken against the member of the Armed Forces. Certain lacunae were discovered, the principal one being that in the original Act only suits were mentioned and the expression used was "courts". As is well known to you, Mr. Vice-Chairman, with your vast experience of the new legislative enactments that have been passed by the State Legislatures as well as by the Central Parliament, there are a number of proceedings which are before tribunals and before other bodies which do not strictly come within the definition of a court. For example cases relating to rent and then several cases are such which are not necessarilly court proceedings but they are of the same type, and by the present amendment the intention is that those tribunals and those proceedings which are judicial or quasi-judicial in character should also be conducted in the same manner as ordinary civil proceedings and whatever are the facilities that are available to the members of the Armed Forces should be available even in relation to such proceedings before the rent courts or before arbitration tribunals and several other forums. The opportunity has also been taken to specifically say that persons who are^'subject to the Indian Navy Act should also be specifically mentioned. Formerly this was achieved by means of a notification because there was no separate Navy Act. Now that the Indian Navy Act has been enacted, the intention is that specifically it should be incorporated in one of the clauses.

There is one other important point which I would like to mention at the present stage. Historically this is an old legislation which was on the Statute Book of India from the time of the foreign rule, and there were provisions in this which had to be adapted to suit the changed situation after independence. Then again the problems that our Armed Forces face today have materially altered. Today as the House is no doubt aware, we have got our soldiers and airmen who have to be at distant places on our borders both in relation to Pakistan and also on tlie Chinese frontier. Instead of specifying in the Act itself, power is being taken that Govem-ment by notification will declare as to which are the categories of members of the Armed Forces serving in certain areas to whom these concessions should be available.

This is a very welcome measure and a non-controversial measure. We always talk of helping the members of the Armed Forces, and this is only a very small gesture. It is also based on sound principles that no decision should be taken against a person *ex parte.* And in this particular case, if a particalar person is serving the country and is at a far-flung place where probably even letters do not reach in the ordinary course and when he is prevented from coming on leave from that distant place because the nature of his duties is such that he cannot be away from his place of duty, the minimum that w

can do, the socie *y* can do, for such people is that in their a jsence the courts will not pronounce decisi ns which might prejudice them.

This is the sole basis behind this enactment and I he pe that this House will unanimously ao ept this because this is recognising in a small way their special difficulties.

There are or,.; or two verbal amendments which hav *t* been necessitated because leave to intr< duce this Bill was granted by this House m >re than a year ago, and other important matters cropped up in the House, and this 3ill could not come up. So, it has come somewhat late, and this necessitates son: : verbal changes which I will move whe 1 the relevant provisions of the enactmen are before the House.

The question w- s proposed.

श्री रुद्रनारायण झा (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे रक्षा मंत्री ने जिस ढंग से अपने देश के उन प्रहरियों और रक्षकों की दिक्कतों के संबंध में चाहा कि उनकी उन दिक्कतों से उनको मुक्त किया जाये और उनको ऐसी सुविधाएं दी जायें जो कोर्ट में उनकी उपस्थिति के संबंध में दिक्कत होती हैं और अनुपस्थिति के कारण घर में कुर्की के वारेन्ट हो जाते हैं, तो ऐसी परेशानी नहीं होगी कि जिससे एकतरफा डिक्री करके उनके अधिकारों पर कुठाराघात पहुंचे। मैं समझता हूं यह देश के प्रहरी सैनिक के लिये बड़ी सुविधा है जो अपने देश की रक्षा के लिये बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिये तैयार हैं। उस समाज को ऐसी छोटी मोटी सुविधाएं देना आवश्यक ही नहीं है, मैं समझता हूं यह एक पुनीत कर्तव्य भी है।

लेकिन मैं फिर भी इस सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से रक्षा मंत्री का ध्यान सैनिकों की दिक्कतों की ओर गया है वैसे ही मैं चाहता हूं सैनिकों की और भी दिक्कतों ओर सरकार का ध्यान जाय और उस दिशा में भी मंत्री महोदय देखें, तब मैं समझता हूं अपने देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है वह और भी दृढ़ होगी और हमारे सैनिकों का आत्मबल और मनोबल बढ़ेगा। मैं रक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर खींचूंगा कि हमने इस बात की शपथ ली है कि हम इस देश में समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं और समाजवादी व्यवस्था का मूलाधार ही समता का है। आज जो हमारे देश का सैनिक संगठन है उसकी कार्य पद्धति में विषमता पायी जाती है, छोटे और बड़े अफसरों की सुविधाओं में काफी अंतर पाया जाता है। सैनिक अफसरों को ब्रिटिश पैटर्न में काफी सुविधाएं हैं। लेकिन एक समाजवादी देश के अंदर सैनिकों में छोटे और ऊंचे अफसरों के बीच में जो संबंध होना चाहिये, आपस में व्यवहार के दृष्टिकोण से भी और सरकार के द्वारा प्रदत्त सुविधाओं के संबंध में भी, इन दोनों चीजों में आज बड़ा अंतर है। चीन के साथ युद्ध के समय मैंने देखा कि जो सैनिक घायल अवस्था में लौटे थे या जो कुछ बंदी बनाये गये, जब वे यहां आए तो उनसे मेरी बातें हुई और उन्होंने बताया कि चीनी कान्सेन्ट्रेशन कैम्प में इसी बात की शिक्षा दी जाती थी, चर्चा की जाती थी, कि देखो हमारे देश में पद जरूर हैं ऊंचे और नीचे, छोटे और बड़े, लेकिन व्यवहार में हम में आपस में बहुत कम अंतर है जब कि तुम्हारे यहां आपस में बहुत ज्यादा असमानता है। मैं समझता हूं किसी भी देश के सैनिक प्रहरियों में आपस में समता का आधार होना चाहिये तो चीनी लोग हमारे देश के सैनिकों के दिमाग में यह विभेद को पैदा करना, इस चीज को डालना चाहते थे कि तुम्हारे साथ तुम्हारी सरकार न्याय नहीं कर रही है, तुम्हारे लोगों का ध्यान इस ओर नहीं है तुम्हारे साथ उचित व्यवहार नहीं हो रहा है मानवीय व्यवहार के अनुसार जो अधिकार, जो सुविधाएं मिलनी चाहियें वह तुम्हें नहीं मिल रही हैं बल्कि तुम्हारे बीच विषमताएं हैं। मैं चाहता हूं सरकार की इस ओर दृष्टि जानी चाहिये और जहां तक संभव हो वह इस बात की कोशिश करे कि आज जो छोटे छोटे सैनिक

[श्री रुद्रनारायण झा]

लोग हैं उनकी बड़े आफिसरों के मुकाबले में सुविधाएं बढ़ाई जायें। मैं देखता हूं कि जब महंगाई भत्ता वगैरह बढ़ता है तो पहले बढ़ता है बड़े आफिसरों का जो कि अधिक बढ़ता है और छोटे सैनिकों का बहुत कम बढ़ता है, छोटे सैनिको का पांच, दस, बीस रुपया बढ़ा देते हैं जब कि उन छोटे सैनिकों की पे पहले से ही बहुत कम है। तो अगर सुविधा बढ़ायी जाय तो एक अनुपात से यह होना चाहिये। नीचे के लोगों को अधिक सुविधाएं होनी चाहिये। जब बड़े लोगों को पहले से सुविधा मिली है तो उन लोगों की सुविधा में मामूली इजाफा होना चाहिये। इसी ढंग से जो सर्विस कंडीशन्स हैं उनके बारे रूल्स में छोटे सैनिकों का विशेष ध्यान रखा जाये तो मैं समझता हूं कि हमारे देश के सैनि ों और प्रहरियों के मन में उत्साह जगेगा कि इस देश में हमारा स्थान भी उतना ही ऊंचा है, हम भी मानवीय दृष्टि से आफिसरों के समान हैं चाहे भले ही क्षमता में, गुण में, योग्यता में वह हमसे श्रेष्ठ हैं; उनके मन में यह भाव जगेगा कि एक भारतीय होने के नाते हम भाई भाई हैं, हममें आपस में भाईचारा है। इससे हमारे सैनिकों का मनोबल ऊंचा उठेगा, देश के प्रति प्रेम भी जगेगा और जितना वह उत्साहित होंगे, जितना उनका मनोबल उंचा होगा उतनी ही हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी, हम अपने देश को उतना ही ज्यादा विदेशियों के हमले से बचा सकेंगे। इसलिये मैं इस बिल का स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि सैनिकों की और भी जो दिक्कतें हैं, मुसीबतें हैं उनके संबंध में रक्षा मंत्री और भी प्रयत्न करेंगे तो हम सब उनके शुक्रगुजार होंगे।

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन् क्या इस मौके पर इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजे जाने का संशोधन लाया जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : नहीं क्योंकि मोशन मूव हो गया। I am not your adviser. You refer to me the motion. It is a little late.

श्री राजनारायण : "लिट्ल लेट" है लेकिन फन्डामेन्टली लेट नही है। मैं नही चाहता इस बिल पर इस वक्त बहस भी हो और यह अधूरा रह जाये। हम अपने सैनिकों के बारे में सोचें तो सम्पूर्ण दृष्टि रख कर सोचें, अधूरी दृष्टि से नहीं। इसलिये हमारा संशोधन ले लिया जाये कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय।

SHRI K. CHANDRASEKHARAN (Kerala) ; Mr. Vice-Chairman, Sir, the hon. Minister stated that the provisions of this Bill constitute a small gesture on the part of society as a whole to the Armed Forces in this country, I do not think that the society particularly in this country would object to any gesture on the part of Government of Parliament to the Armed Forces in this country. The Armed Forces are rendering a great service to the country as a whole. And even when these Armed Forces were under the sway of the British who were reigning this country, as early as 1925 it had been thought necessary to have the Indian Soldiers (Litigation) Act. I am not criticising the Government but I am only suggesting to the Government that tlie Indian Soldiers Litigation Act requires large-scale revisions, modifications and amendments, and I am not surprised that my hon. friend, Mr. Rajnarain. has chosen to suggest, even though a little delayed, that not only this Bill but the parent enactment itself should really go to a Select Committee for the purpose of scrutiny of the entire provisions in relation to litigation affecting the members of the Armed Forces. Even though the hon'ble Minister stated that there is a gesture contained in this legislation, I am sorry, Sir, the spirit of that gesture was not recognised by the Government as a whole because it is more than a year that even this Bill had been pending before this House and more urgent legislative work has consumed the time of this House, and therefore this Bill had received somewhat of a step-motherly treatment. Knowingly or unknowingly the effect is that.

The hon'ble Minister referred to the provisions contained in this Bill that the ambit of civil suit is extended from the civil

court to the tribu: als, and when a soldier entitled to the be; efit of the provisions of this Act is havi ig a litigation affecting him, not only in ; court but also in a tribunal which has | ot to be notified by the Government, it is good that the benefit of the provisions *of* his Act is extended to litigation pending in tribunals.

During the lasi ten years we have witnessed larger and larger numbers of administrative tribunz ls, exercising quasi-judicial functions or even judicial functions, being created by various legislations in the States and in the Centre. Therefore, the provisions of the main enactment should be extended to itigation pending before tribunals.

It is stated, Si , in clause 2 (a) of this Bill that the trib mal or other authorities before which sach litigation would be pending and in i aspect of which litigation the provisions >f the parent enactment would cover, ha* to be specified by the Central Govern! tent by notification in the official gazette. [do not know whether the Governmen have thought over this matter. This, ag lin, is a matter which has got to be taken in consultation with the States with i :gard to various State legislations. I de not know, Sir, what sort of spade work h ,.s been done by Government in this beh Uf. If nothing has been done this would result in further delay, and I would oni *f* request the Government at this stage to ivoid any delay in the specification by the Central Government by notification ia regard to the tribunals or authorities wliich would be covered by the provisions o "this amending Act.

The second tl ing that has been done is to directly exter d the provisions of this Bill by statut ry force itself to naval personnel. I understand from he hon'ble Minister that even though there was no such provision in the Soldiers (Litigation) Act by virtue of notifications the result was b(ing attained and probabaly it was so becaus:; we did not hear any sort of discrimination as such against the naval personnel or any particular hardship resulting to the naval personnel. Anyway, since the Act is being amended it is good that the extension of the provisions of this Act to naval pe sonnel is being done by an amendment tself.

The third thi ig that has been done in this Bill is to e> :end the provisions of this Act to soldiers already available under War conditions, and under an emergency which may be declared, such benefits are now being extended also to soldiers working in remote operational areas. Here, again, Sir, these remote operational areas have to be specified by the Central Government. In regard to this specification also I would suggest that there should be no delay in the matter of issuance of the notification after the Bill becomes law.

Two more things, Sir that I want to suggest and which would have been possible of consideration if the Bill had gone to a Select Committee, with power to the Select Committee to go into the provisions *of* the parent Act itself, are these. This is a matter which really does not cover merely soldiers working in war conditions or soldiers working in an emergency or soldiers serving in such remote operational areas. The very fact that one is a member of the Armed Forces puts him to a lot of strain, discipline, control and restrictions of freedom which, normally an employee of Government is not put to, and that is a factor which has to be reckoned particularly in the matter of filing written statements and counter-statements etc. It may be, Sir, that a particular soldier may be working in Madras which is not a remote operational area and, therefore, it does not come within the provisions of this enactment. Suppose there is a litigation against him in Kerala, the normal time available to him for filing a written statement or counter-statement, in working practice it has been found, is not adequate. He is not able to make arrangements for the defence of the litigation during that period. The Civil Procedure Code, the Limitation Act and other enactments make prescriptions of a general nature. But here is a special enactment pertaining to the soldiers. If a provision can be made in this enactment that more time would be available for the soldier, wherever he is in service, for filing a written or counter-statement, that would again be a consideration which would work out very great benefits so far as the serving soldier, who is put to litigation, is concerned.

Another aspect I suggest is from the point of view of the financial difficulties that the soldiers particularly at the lower level are likely to be put to in defending litigations. In various States enactments have already been legislated upon for the purpose of giving free legal aid to the poor. A large section of the public, both in regard to civil and criminal litigation, are able to

[Shri K. Ghandrasekharan] resort to the provisions of t his free legal aid and get counsels appointed for them at the cost of the State to defend litigations which they have got to have in courts of law. I would commend to the hon'ble Defence Minister a provision in the Soldiers (Litigation) Act to the effect that in cases where it is necessary arrangement for the defence of the litigation should be made at the cost of the Central Government. It is particularly essential in this country because the salaries and emoluments that the Armed Forces receive particularly at the bottom level, or from the bottom level to the middle level, are not adequate. They are not fair compared to the living standards, economic conditions and the pay that other services in Government receive. I would, therefore, suggest that free legal aid should be available to the soldiers.

SARDAR SW ARAN SlNGH : Sir, I have not got much to say by way of reply. I am thankful to the two hon. Members who have supported the Bill. They have also made certain other suggestions in the interest of the soldiers which *I* greatly welcome. I will give very careful thought to the other suggestions that have been made and if they are found practical, we will not hesitate to undertake legislation of a more comprehensive character. The scope of this Bill is limited and I would appeal to the hon. Members that let us place this on the statute book, and the other suggestions can be examined separately. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The question is.

"That the Bill further to amend the Indian Soldiers (Litigation) Act, 1925, be taken into consideration."

The motion was adopted

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *and* 3 *were added to the Bill Clause 1 Short title*

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I move ;

"That at page 1, line 4, for the figure '1968' the figure '1969* be substituted,"

Tlie question was put and the motion was adopted.

Clause 1. *as amended, was added to the Bill*

Enacting Foumula

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I move :

"That at page 1, line 1, for the word 'Nineteenth' the word 'Twentieth' be substituted."

The question was put and the motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

श्री राजनारायण : श्रीमन, हमारे एमेंडमेंट का क्या हुआ ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : It has come too late. So I am very sorry to say that I have to rule it out.

श्री राजनारायण : हमारा एमेंडमेंट पढ़ तो दीजिए।

श्री महाबीर प्रसाद भार्गव (उत्तर प्रदेश) : थर्ड रीडिंग हो रही है।

श्री राजनारायण : तो फिर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

एक माननीय सदस्य : मोशन तो रखने दो।

SARDAR SWARAN SINGH : Sir, I move :

"That the Bill, as amended, be passed,"

The question was proposed.

श्री राजनारायण : श्रीमन, मैं बहुत ही अफसोस के साथ कह रहा हूं कि हमारा जो एक साधु संशोधन था उसको आपने रूल आउट कर दिया। वह यह था कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय इस शक्ति के साथ कि प्रवर समिति इसकी परिधि को भी बढ़ा सके तथा 15 दिन के अन्दर प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट यहां भेज दें। अभी जो सदन के सम्मानित सदस्य बोले जैसे रुद्र नारायण झा

और केरल के हमारे मित्र चन्द्रशेखरन जी इनकी बात को आप महत्व दें। 1925 के बाद जब हम अपने सैन्य संगठन पर कुछ विचार विनिमय करने के लिये प्रस्तुत हैं तो हमको ऐसे अवसर पर उसकी तमाम बारीक बातों में जाना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए मैं अब भी चाहता था अगर हमारे मंत्री महोदय जो इस विधेयक से सम्बन्धित हैं चाहते तो आप इस रूल को स्थगित करके हमारे संशोधन को मान लेते, मगर आपने उसको रूल आउट कर दिया। जहां तक मेरा ज्ञान है वह रूल आउट होने की हैसियत में नहीं था क्योंकि जहां मंत्री ने कहा कि इस पर विचार किया जाय उसी समय उसका मौंजू समय होता है कि हम मूव कर दें कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय। यह प्रथा भी चल रही है और मैंने उस समय मूव कर दिया था, मगर अब मैं उसकी टेक्नीकेलिटी में नहीं जाऊंगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि जब अपने सैनिकों के लिए सहूलियत देने की भावना माननीय मंत्री जी के मस्तिष्क में आई तो माननीय मंत्री जी का मस्तिष्क इसकी ओर क्यों नहीं गया कि आज हमारे सैन्य संगठन में मुसीबत क्या है, रिक्रूटमेंट अफसरों का डाइरेक्ट और नीचे से जो होता है उसका रेशीयो क्या है। आप चाहे जहां जाइए, चाहे ट्रेन में चलिए, जो सेना के लोग मिलते हैं वे बेचारे रोते हैं, जहां जाइए उनकी मुसीबत हैं, वे बेचारे कहते हैं कि साहब हम लोग इतने-इतने साल से काम कर रहे हैं लेकिन जैसी कि हमारे यहां कहावत है—'जाकी पिया माने वही सुहागन नार'।

उपसभाध्यक्ष (श्री अकबर अली खान) : यह तो बहुत लिमिटेड है।

श्री राजनारायण : इसीलिए मैं अर्ज कर रहा हूं। आपने शायद समझा नहीं। जहां मैंने इसको सेलेक्ट कमेटी को भेजने की बात कही, वहां यह भी कहा कि सेलेक्ट कमेटी इसके स्कोप को बढ़ाने की हकदार है। आपको समझाने के लिए हम अपनी भाषा को खराब कर रहे हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि जो आज सैनिकों में मरमरी है, जो आज उनमें चर्चा है कि अफसरों की नियुक्ति सीधे हो जाती है और नीचे से उनके गुण दोष के आधार पर, उनके काम, उनकी खिदमत को देखकर उनकी तरक्की नहीं की जाती, इसके बारे में मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर करें, सोचें और सोचकर बहुत ही निकट भविष्य में ऐसी बात करें जिससे हमारी सेना के अन्दर आज जो असंतोष व्याप्त है वह दूर हो।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि जो हमारे सेना के लोग सप्लाई विभाग में है और जो फ्रन्ट विभाग में है उनमें क्या फर्क है। जो अपनी जान को देने के लिए मोर्चे पर हैं वे तो कम तनख्वाह पाते हैं और जो सप्लाई विभाग में है उनकी तनख्वाहें ज्यादा होती हैं। इस असंगति को भी मैं चाहूंगा कि यह सरकार दूर करे क्योंकि इसको लेकर आज हर जगह, हर कैम्प में बड़ा असंतोष है। हमारे पास ये लोग आते हैं और कहते हैं, हमने उनसे कहा कि ऐसी नालायक सरकार है कि किसी सीधी और अच्छी बात को कर ही नहीं सकती, जब तक यह सरकार मजबूर नहीं कर दी जाती तब तक इसके स्वविवेक या अपने डिस्क्रीशन से कोई अच्छी बात निकल नहीं सकती। आप भी भुक्तभोगी हैं, श्रीमन, आप भी सफरर हैं आन्ध्रवाले मामले में।

इसलिए एक तो रिक्रूटमेंट के क्षेत्र में चेंज हो। दूसरे सप्लाई और फ्रन्ट विभाग में जो असंगति है तनख्वाहों में उसका अन्तर मिले। तीसरी बात यह है, जैसा कि एक मर्तबा हमने कहा था कि मैं नाथूला गया हुआ था जब हमारे 14 मरे हुए सैनिकों को चीन के लोगों ने लौटाया था तो वहां पर चीन अपने लाउड स्पीकर से बोल रहा था कि कुछ दलाल आए हैं, प्रतिक्रियावादी, पूंजीवादी कांग्रेसी सरकार के उन दलालों के चक्कर में मत पड़ो। उसने सोचा कि हम सब लोग भी दलाल हैं। वे नहीं जानते थे कि हम कितने तत्पर हैं इस पूंजीशाही सरकार को गिराने में। हिन्दी में, हिन्दुस्तानी भाषा में यह प्रचार हो रहा था। तो चीन हमारे अफसरों में और हमारी सीमा

[श्री राजनारायण]

की जनता में उनकी भाषा में बात करता है और हमारी सेना के बड़े बड़े अफसरान अपने सैनिकों से अंग्रेजी में बात करते हैं। यानी कितनी जबरदस्त खाई हो गयी है आज जवानों में और सेना के अफसरों में। मैं कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि सेना के अफसर जो शुद्धतः ब्रिटिश अंग्रेजी माडल पर चल रहे हैं, उन में बुनियादी तब्दीली हो। जब तक उन में यह बुनियादी तब्दीली नहीं होगी हमारे देश की सीमा पर खतरा बना रहेगा। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार इस पर तत्परता से ध्यान दे और कोई न कोई ऐसी बात लाये जिस से कि सेना के उच्चतम पदों पर भी जो लोग हैं वह अपने देश की भाषा समझें। उनके लिए हिन्दी का ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि अपने देश की जनता हिन्दी को समझती है और बार्डर पर के तो सभी लोग हिन्दी को समझते हैं। चाहे वह बिहार की सीमा हो या उर्वशीयम की, हिमाचल का इलाका हो या लद्दाख का, सब जगह लोग हिन्दी समझ लेते हैं। लेकिन जब मैं हिन्दी की बात कहता हूं तो मैं पहले ही कह देना चाहता हूं कि वह हिन्दी ऐसी होनी चाहिए कि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाय तो उसे हिन्दी कहा जाय और अगर अरबी और फारसी में लिखी जाय तो उसे उर्दू कहा जाय। मैं पंडिताऊ हिन्दी के पक्ष में नहीं हूं। जिस हिन्दी को आम जनता समझती है उसके पक्ष में हूं। तो इसके लिए भी अफसरों के लिए कोई न कोई शर्त होनी चाहिए, वरना भाषा का प्रश्न मामूली प्रश्न नहीं है। भाषा का सवाल बहुत बड़ा है। आप को मैंने बताया था कि जब मुझ को मास्को जाना था तो मैं पहले पेरिस उतरा। मैं सोचता रहा कि मैं किस भाषा में बोलूं। काफी विचारने के बाद मैंने टूटी फूटी अंग्रेजी में बोलना शुरू किया। वहां हवाई अड्डे का मैनेजर अंग्रेजी समझता नहीं था। वह लगा मुंह ताकने। तो उस समय मुझे एक लड़का दिखायी पड़ा जो बंबई का था। उस ने अपना नाम कृष्ण कान्त बताया। उस ने कहा कि मैं फ्रेंच जानता हूं। तो मैंने उस से कहा कि मेरी थोड़ी सी बात उस को समझा दो। तो जब उस ने उस को फ्रेंच में मेरी बात समझायी तो उस ने फौरन मेरा इंतजाम कर दिया और वियना होते हुए हम को मास्को भिजवा दिया और उसी रात हम 12 बजे वहां पहुंच गये। तो भाषा का प्रश्न कोई मामूली प्रश्न नहीं है। अब भी सरकार अंग्रेजी को बड़े बड़े अफसरों के लिए अनिवार्य रखती है और देशी भाषा को अनिवार्य नहीं रखती। यह सरकार के दिमाग का फेर है और ब्रिटिश परंपरा की गुलामी है। मैं चाहता हूं कि उस गुलामी जेहनियत से बचा जाय, बौद्धिक परतंत्रता की बेड़ी से यह सरकार छुटकारा पाये। मुझे इस पर ज्यादा कहना नहीं है।

इस के अलावा तनख्वाह का सवाल है। अफसरों की तनख्वाह में और जवानों की तनख्वाह में कै गुने का फर्क है। मैं चाहता हूं कि अगर मंत्री जी के पास आंकड़े हों तो वे बतायें कि दुनिया के अन्य मुल्कों में वहां के जवानों में और वहां के अफसरों की तनख्वाहों में क्या फर्क है? दोनों का रेश्यो क्या है? मैं समझता हूं कि भारत में तनख्वाहों में जितना फर्क है उतना शायद ही दुनिया के किसी मुल्क में होगा। इसी लिए हमारा जो सैन्य संगठन है वह बहुत ही शिथिल अवस्था में पड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा कि कानपुर जा कर मंत्री जी देखें कि वहां सैनिकों के लिए जो जूते बनते हैं, जो उन के लिए कपड़े बनते हैं उन को यह सरकार बनवाती है और जो कपड़े और जूते कानपुर के लोग खरीदते हैं उन के भाव क्या हैं। अगर वह देखेंगे तो उन को पता चलेगा कि वहां के बड़े अफसरों में कितना करप्शन है, कितना भ्रष्टाचार है और यह करप्शन और भ्रष्टाचार उन्हीं अफसरों में है कि जो मंत्रियों के नजदीक आकर रहते हैं, उन से मिलते जुलते रहते हैं या जब मंत्रिगण ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो आ कर उन से मिलते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण मैं दे सकता हूं लेकिन उस से हमारे देश की सुरक्षा पर भी असर पड़ेगा इस लिए मैं आज उस को यहां कहना नहीं चाहता। मैं इस लिए चाहता हूं कि

इस को प्रवर समिति में ले जाया जाय और इस के स्कोप को बढ़ाया जाय ताकि वहां इन तमाम बातों पर विचार हो सके और इसी विधेयक में यह तमाम सारी बातें आ जायें।

इस के साथ ही लाम बन्दी की बात है, अनिवार्य भर्ती की बात है। मैं समझता हूं कि अब हमारे लिए कुछ परिस्थिति विशेष आ गयी है। अनिवार्य भर्ती की अब हम को कुछ गुंजायश करनी चाहिए। जब हमारे राष्ट्र पर कोई खतरा हो तो उसका मुकाबला करने के लिए मैं चहूंगा कि हमारे पास कोई रिजर्व फोर्स हों। सरकार इस बात की व्यवस्था करे कि आम भर्ती कर के एक खास उम्र तक के लोगों को, चाहे वह उम्र 25 साल की हो, तीस साल की हो या 22 साल की हो, सेना की ट्रेनिंग दी जाय और उस में भले ही कोई एक्स-रूलर हो या एक्स-जमींदार हो, या ताल्लुकेदार हो, किसी नवाब का बेटा हो या मंत्री का, वहां प्रधान मंत्री का बेटा बेटी और गरीब का बेटा बेटी सब एक प्रकार से रहें और जब राष्ट्र पर संकट हो, विदेशी आक्रमण हो तो उस का मुकाबला करने के लिए अनिवार्य भर्ती समान रूप से होनी चाहिए। इस की मांग मैं सरकार से करूंगा और एक बात और कहना चाहूंगा क्योंकि आज हमारे देश की सुरक्षा खतरे में है। मैं इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूं। इस को देखते हुए मैं चाहूंगा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए अपने को जिम्मेदार समझे। देश की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार एक जिम्मेदार सरकार को काम करना चाहिए वह उस प्रकार से काम नहीं कर रही है। इस लिए मैं चाहूंगा कि सरकार जरा सीमाओं को जा कर देखे कि वहां किस तरह से जासूसी हो रही है। हमारे देश का जासूस विभाग तो इतना निकम्मा और नालायक हो गया है कि उस को कुछ पता ही नहीं लगता कि कहां क्या हो रहा है। कल जब अहमदाबाद में दंगे पर बहस होगी तो मैं उसके लिए केन्द्रीय सरकार की मरम्मत करूंगा कि उस का जासूस विभाग क्या करता है और उस की जासूसी कैसी होती है। उस को न तो देश के हित का ध्यान रहता है और न देश की सुरक्षा का और न वह आम जनता की तरक्की का ध्यान रखता है। लेकिन यह सरकार टैक्टिक्स में बहुत माहिर है। इस को मोड़ना तोड़ना खूब आता है और इसी लिए यह निकम्मी, नालायक, देशद्रोही और जनद्रोही सरकार जनता की छाती पर पड़ी हुई है इस बात को मैं साफ तौर से कह देना चाहता हूं और आप की आज्ञा से बैठ रहा हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Now Mr. Bhupesh Gupta. You know the time is up.

SHRI BHUPESH GUPTA (West Bengal) : Yes, yes, tbat Twill see. Mr. Vice-Chairman, in the third reading...

SOME HON.*MEMBERS : Tomorrow, tomorrow.

श्री राजनारायण : प्वाइंट आफ आर्डर। पांच बज गये हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR AU KHAN) : We want to finish this. It is ' a very simple matter. Mr. Bhupesh Gupta, I will give you five minutes.

SHRI BHUPESH GUPTA : No, Mr. Vice-Chairman. There is no question of five minutes. We can continue this tomorrow. Honourable Members do not want it. They are tired. Anybody is tired with the lobbying that is going on.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : This is a very simple matter.

SHRI BHUPESH GUPTA : We shall save your time by not speaking, Mr. Vice-Chairman. Honourable Members are also tired. Surely they are tired, but I am not tired, as you know.

SHRIMATI YASHODA REDDY (Andhra Pradesh) : We will continue tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALT KHAN) : Mr. Bhupesh Gupta, I will give you five minutes.

श्री राजनारायण : अगर वे पांच मिनट भी बोलेंगे तो भी कल के लिए यह कांटिन्यू होगा क्योंकि नीरेन घोष जी बोल रहे हैं, यशोदा जी बोल रही हैं। *(Interruptions)*

AN HON. MEMBER : Mrs. Yashoda Reddy will not speak.

SHRIMATI YASHODA REDDY : You cannot say nobody wiH speak. I will speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : They have not given their names,

SHRIMATI YASHODA REDDY : I will speak.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : You have not given your name.

SHRI BHUPESH GUPTA : Mr. Vice-Chairman, they have not come to the opposition not to speak. Have they come not to speak ? It is quite clear that they have not come to the opposition side not to speak. So, tomorrow.

SHRIMATI YASHODA REDDY : Yes, we wiH speak. Tomorrow.

SHRI RAJNARAYAN : Yes, tomorrow.

THE VTCE-CHntMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : Is it the pleasure of the House ?

HON. MEMBERS : Yes, yes.

SHRI BHUPESH GUPTA : Everybody is saying that.

IHE VICE-CHALRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) : The House stands adjourned till 11 o'clock tomorrow.

The House then adjourned at four minutes past five of the clock till eleven of the clock on Wednesday, the 19th November, 1969.